संदर्भ:आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/सीआईआर/113/04/2021 29 अप्रैल, 2021
Ref: IRDAI/HLT/MISC/CIR/113/04/2021 29th April, 2021

परिपत्र
Circular

प्रति / To,
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी एवं ईसीजीसी के सिवाय)
All General and Health Insurers (Except AIC & ECGC)

प्रिय महोदया / महोदय,
Dear Madam / Sir,

विषय: कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के संबंध में मानदंड
Re: Norms on settlement of COVID-19 health insurance claims

1. नई दिल्ली के माननीय उच्च-न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सी) सं. 5026/2021 में पारित आदेश दिनांकित 28.4.2021 की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें आईआरडीएआई को निर्देश दिया गया वह बीमाकर्ताओं को सलाह दें कि वे 30 से 60 मिनटों की अधिकतम समयावधि के भीतर संबंधित अस्पतालों/प्रतिष्ठानों को अपनी कैशलेस मंजूरियों की सूचना दें ताकि रोगियों को डिस्चार्ज करने में कोई विलंब न हो और अस्पताल के बिस्तर खाली न रहें।
Reference is invited to Order dated 28.4.2021 passed by Hon'ble High Court of New Delhi in WP(C) No.5026/2021 wherein IRDAI was directed to advise Insurers to communicate their cashless approvals to the concerned hospitals/establishments within a maximum time period of 30 to 60 minutes so that there shall not be any delay in discharge of patients and hospital beds do not remain unoccupied.

2. इस संबंध में परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/सीआईआर/95/04/2020 दिनांकित 18.4.2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कैशलेस पूर्व-प्राधिकार और बीमाकृत रोगी के अंतिम डिस्चार्ज, दोनों मंजूर करने के लिए, दो घंटों का निश्चित कुल समय विनिर्दिष्ट किया गया था।
In this regard, attention is invited to circular ref.no. IRDAI/HLT/MISC/CIR/95/04/2020 dated 18.4.2020 wherein a fixed turnaround time (TAT) of two hours for granting both cashless pre-authorization and for final discharge of the insured patient was specified.

3. दूसरी लहर के रूप में कोविड-19 के मामलों की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप सभी बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं।
In the wake of prevailing conditions of COVID-19 cases in the form of second wave and in line with aforesaid directions of the Hon'ble High Court, the following directions are issued to all insurers:

क. कोविड-19 के लिए कैशलेस उपचार के लिए दावों के प्राधिकार के निर्णय नेटवर्क प्रदाता (अस्पताल) को, अस्पताल से सभी आवश्यक जरूरतों के साथ प्राधिकार हेतु अनुरोध की प्राप्ति के समय से 60 मिनटों के भीतर सूचित किये जाएँगे।
a. Decision on authorization for cashless treatment for COVID-19 claims shall be communicated to the network provider (hospital) within a period of 60 minutes from the time of receipt of authorization request along with all necessary requirements from the hospital.

ख. कोविड-19 दावों में शामिल रोगियों के अंतिम डिस्चार्ज के संबंध में निर्णय, अस्पताल से सभी आवश्यक जरूरतों के साथ अंतिम बिल की प्राप्ति के समय से एक घंटे की अवधि के भीतर नेटवर्क प्रदाता को सूचित किया जाएगा।
b. Decision on final discharge of patients covered in COVID-19 claims shall be communicated to the network provider within a period of ONE hour from the time of receipt of final bill along with all necessary requirements from the hospital.

4. विनिर्दिष्ट समय सीमा की अधिकतम सीमा के बावजूद, बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अनुरोधों को तुरंत निपटाएँ ताकि कैशलेस उपचार और रोगी के डिस्चार्ज, दोनों के लिए प्राधिकार अत्यधिक तेजी से दिया जा सके।
Notwithstanding the above outer limits of timelines specified, the insurers are advised to process such requests promptly so that both authorisation for cashless treatment and discharge of the patient can be hastened to the maximum extent.

5. बीमाकर्ता ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित तृतीय पक्ष प्रशासकों को यथोचित निर्देश जारी करेंगे।
The Insurers shall issue appropriate directions to their respective Third Party Administrators for ensuring compliance with the timelines specified above.

6. ये दिशा-निर्देश बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 34(1) के साथ पठित आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 27(vi) में निहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये गये हैं।
These guidelines are issued under the powers vested with Regulation 27 (vi) of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016 read with Section 34 (1) of Insurance Act, 1938.

7. उपरोक्त अनुदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
The above instructions shall be in force with immediate effect.

हस्ताक्षरित / Sd/-
(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)
(महाप्रबंधक / General Manager)